संख्या- 2/जी-1- 25/दस-2014-226/2008

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2014

विषय-मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु नगरों की श्रेणी में संशोधन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के संदर्भ में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर मकान किराया भत्ता की दरों का पुनरीक्षण शासनादेश संख्या:-जी-1-953/दस-2008-226/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा किया गया था। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-2 में मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु श्रेणी 'ए', 'बी-1', 'बी-2' एवं 'सी' तथा अवर्गीकृत श्रेणी में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से संबंधित तालिका दी गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-2 की उपर्युक्त तालिका में 'सी' श्रेणी के नगरों में सम्मिलित झांसी नगर को 'बी-2' श्रेणी में तथा चन्दौली, कानपुर देहात, बागपत, कौशाम्बी, महाराजगंज, कुशीनगर, अमेठी, सोनभद्र, संत कबीर नगर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर एवं भदोही जनपदों के जनपद मुख्यालयों, जो वर्तमान में अवर्गीकृत श्रेणी में हैं, को उपर्युक्त तालिका में 'सी' श्रेणी में चिन्हित नगरों के साथ तत्काल प्रभाव से सम्मिलित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। जनपद मुख्यालय से आशय उस स्थान से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा जनपद मुख्यालय घोषित किया गया है।

3- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का भी निदेश हुआ है कि किसी सरकारी सेवक, जिसके कार्य करने का स्थान श्रेणी 'ए', 'बी-1', 'बी-2' एवं 'सी' के चिन्हित नगरों की अर्हकारी सीमाओं के भीतर अथवा उनके बाहर परन्तु 08 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित हों, उसे मकान किराया भत्ता कार्य करने के नगर में अनुमन्य दरों पर पूर्व की भांति ही देय है।

4- उपर्युक्त शासनादेश संख्या:-जी-1-953/दस-2008-226/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेगें।

5- उक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

आनन्द मिश्र

प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 2/जी-1-25(1)/दस-2014-226/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0शासन।

(2) महालेखाकार-1, 2 व 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)

(5) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(6) विधान सभा/परिषद सचिवालय।

(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

(8) निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

(9) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(10) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

बी0के0 सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in